

13

1

आरटीआई अर्जी RTI ACT 2005

TO, CPIO RTI
KANDLA SPECIAL ECONOMIC ZONE
DEVELOPMENT COMMISSIONER OFFICE
GANDHIDHAM KUTCH PIN-370230

DATE: 13/05/2019



नाम और पता

ARVIND LABHUBHAI VADODARA
PLOT NO C-14, NU-10/B
SHAKTE NAKAR, KANDHIDHAM - 370201


Shri लीकेश

विषय : अर्जदार के मानगो की मुताबिक सूचना प्रदान करें.....

pl. write to

SO

मिशन फरमा लॉजिस्टिक कंपनी ने मेरे गेट पास बनाने के लिए जो फॉर्म जमा किया हो तथा फॉर्म के संदर्भ में कांडला स्पेशल इकोनामिक जोन के कार्यालय ने जो गेट पास जारी किया हो कंप्यूटराइज उसकी 5 हू कॉपी नकल प्रदान की जाए मिशन फरमा लॉजिस्टिक कंपनी ने JAN-2010 से DEC-2014 के समय के भीतर गेट पास बनाने का जॉ फॉर्म सबमिट किया हो और स्पेशल इकोनामिक जोन कार्यालय ने जो गेट पास कंप्यूटर सिस्टम के जरिए तैयार करके प्रदान किया हो जारी किया उसकी 5 हू कॉपी नकल सौंपी जाए कृपा करके गेट पास संबंधित मेरी सूचना जल्द से जल्द प्रदान करें ऐसी विनंती.....


13/5/19

मांगी गई सूचना अर्जदार को उनके ईमेल ऐड्रेस rameshtharu@rediffmail.com पर स्कैन करके भेजी जाए लिखित स्वरूप में

Arvind

(ARVIND LABHUBHAI VADODARA)

POSTAL ORDER NO 39F 449649 रुपये 10 सहित है



13/5/19
आवक लिपिक
क.वि.आ. क्षेत्र प्रशासन
गांधीधाम (कच्छ)



KASEZ

विकास आयुक्त का कार्यालय
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
गांधीधाम - कच्छ-370230
Phone (02836)-253300, 252475, 252273
Fax (02836) - 252250 & 252194
E-mail: admn.kasez-gj@gov.in
Website: www.kasez.gov.in

फा.सं. KASEZ/ RTI/13/2019-20/ 308

दिनांक: 28.05.2019
29

By Speed Post

सेवा में,
श्री अरविन्द लाभुभाई वडोदरा,
प्लॉट न. - C- 14, NU-10/B,
शक्तिनगर, गांधीधाम- 370201

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में.

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय पर आप अपने आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 13.05.2019 का सन्दर्भ ले, जो इस कार्यालय में दिनांक 14.05.2019 को प्राप्त हुआ है।

इस सन्दर्भ में, सम्बंधित शाखा/अनुभाग से प्राप्त वांछित सूचना के अनुसार, आपको यह सूचित किया जाता है कि 2014 से पहले की अवधि के लिए फॉर्म/गेट पास का रिकॉर्ड इस कार्यालय के पास नहीं है।

उपरोक्त सूचना आपको सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन - 7 के तहत दी जा रही है। अगर आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 19(1) के तहत आप प्रथम अपील विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम(कच्छ) -370230 के समक्ष कर सकते हैं।

भवदीय,



(अरुण कुमार)

उपायुक्त (सीमाशुल्क)/सी.पी.आई.ओ.
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र,
गांधीधाम

